

**बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग**

ii स्वीकृत्यादेश ii

संख्या-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ०प्र०, पटना-23 दिनांक-
सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-बेगूसराय जिला में एक यूनिट B टाईप District Emergency Response Facility-cum-Training Centre की स्थापना के निमित्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के पूंजीगत मद से आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 1097.84 लाख (दस करोड़ सत्तानवे लाख चौरासी हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

2. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-7707 दिनांक-17.08.2026 के माध्यम से अनुमोदित स्थल प्लान, वास्तुविदीय नक्शा एवं CPWD प्लिंथ एरिया दर 2025 के आधार पर प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
3. उक्त संरचना का निर्माण बेगूसराय जिलान्तर्गत मौजा-मल्हीपुर, थाना सं०-503, खाता सं०-261 खेसरा सं०-890, रकबा-01.00 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा।
4. इस हेतु राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-प्राकृतिक आपदाएं, मांग संख्या-39, उपशीर्ष-0003-जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड-39-4250001010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक स्वीकृत उपबंध से होगा।
5. प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि इसकी वैधता वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक होगी एवं योजना हेतु प्रस्तावित अनुमोदित प्राक्कलन में किसी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी।
6. इस योजना का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।
7. आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा यह राशि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवंटित की जाएगी।
8. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी।
9. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-374/आ०प्र०, दिनांक-09.02.2026 को रद्द समझा जाए।
10. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अविनाश कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-

प्रतिलिपि:-बजट शाखा, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/269...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-23-09-26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव